



न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
प्रकरण क्रमांक 1/99 निग.

पृष्ठ 990065
2/1/99

सुमात्र शर्मा
12.01.99

12.1.99

गोवर्धनलाल आत्मज भवानी वधवा निगम आ
ध्या खेती नि.फार्म हाउस कार्या.नगर पंचा
पीछे आलोट जिला रतलाम ... आवेद
वि.

1. श्रीमती श्रीला देवी विधवा रत्नलाल
2. लोका कृष्णार निगम पुत्र रत्नलाल
नि.क्रं. 1 व 2 गढ़ मोहल्ला गंगधार राजस्व
3. श्रीमती रितु बालादेवी पत्नी रत्नलाल
नि. विरमगढ़, आलोट, तह. आलोट जि. रत
4. श्रीमती लक्ष्मीदेवी पत्नी गोवर्धनलाल
नि. नगर पंचायत के पीछे आलोट
5. श्रीमती भावती देवी पत्नी गोविन्द प्रसाद
नि. 56, भेरु की गली भागसीपुरा उज्जैन.
6. श्रीमती लक्ष्मिता पत्नी बाबूलाल निगम
नि. उज्जैन
7. श्रीमती हीरामणी पत्नी श्यामबिहारी
निवासी झालाबाड़ राजस्थान
8. श्रीमती कृष्णादेवी पत्नी देवनारायण
नि. बामौर क्लां जिला शिवपुरी म.प्र.
... अना

निगरानी अंतर्गत धारा 50 प्र.क्रं. 282/98-97 पारित आदेश दि. 11.12.
न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन से अस्तुष्ट होकर ।

मान्यवर,
आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्नतथ्यों आधारों पर प्रस्तुत है :-

तथ्य :-

1. यह कि ग्राम आलोट की भूमि क्रमांक 419 से 429, भूमि क्रमांक 788, 789
भूमि क्रमांक 469 कुल क्षेत्रफल 14.585 छाता क्रमांक 274 कुल कृता 24 में
1/3 हिस्सा दर्शाकर बंटवारे का आवेदन मृतक रत्नलाल द्वारा दिया गया

क्रमांक.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आदेश पृष्ठ
भाग - अ

प्रकरण क्रमांक-निग0 65/एक/1999

गोर्वधनलाल/शीलादेवी

जिला-रतलाम

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही अथवा आदेश

पक्षकों एवं
अभिभाषकों आदि
के हस्ताक्षर

5-6-2015

आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक को कई बार सूचना दी गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं रहे । प्रकरण वर्ष 1999 से लंबित है । आवेदक एवं उनके अभिभाषक दिनांक 24.03.2012 से प्रकरण में उपस्थित नहीं हो रहे हैं । जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण संचालन में रुचि नहीं है । दर्शित परिस्थिति में प्रकरण रुचि न लेने से समाप्त किया जाता है । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो ।


सदस्य